(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 49–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2008 एवं 11–7–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक कमशः 37/2007–08/पुनर्विलोकन एवं प्रकरण कमांक 175/2006–07.

नंदलाल पुत्र रामप्रसाद
निवासी ग्राम परवाह
तहसील व जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2– म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम उमरदा
प.ह.नं. 19 तहसील व जिला गुना
3– देवीलाल पुत्र स्व. रामलाल
निवासी ग्राम उमरदा
तहसील व जिला गुना
4– देवकिशन पुत्र खेमचन्द
निवासी ग्राम उमरदा
तहसील व जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री बृजेन्द्र धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2008 एवं 11–7–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 76/अपील/2005–06 में आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–4–2007 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि आवेदक द्वारा विधि एवं प्रकिया सम्बन्धी आपत्ति उठाई गईं हैं, जिन पर अन्तिम तर्क के समय विचार किया जायेगा, प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 17–5–2007 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–7–2008 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–9–2008 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु उनकी ओर से नियत समय में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत साक्ष्य को बिना देखे निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदक का भूभाग नक्शे में गायब ही कर दिया गया है, तब गायब विवादित भूभाग को पूर्व नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में यथास्थान पर साबित किया जाना कैसे संभव है ।

आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाई गईं अन्य आपत्तियां इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण अंतिम तर्क के समय किये जाने सम्बन्धी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील में आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक की ओर से विधि एवं प्रकिया सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं, जिन पर अंतिम तर्क के समय विचार किया जायेगा । उपरोक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कमशः प्रथम निगरानी अपर कलेक्टर एवं द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त द्वारा निरस्त की गई है । इस न्यायालय में आवेदक द्वारा इन्हीं आधारों पर यह तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2008 एवं 11–7–2008 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर